D.J. 9-10-12

क्या आपकी इमारत में है अग्निशमन यंत्र

सुनील राज, पटना

अपार्टमेंट या दूसरी किसी बहुमंजिला इमारत में रहने वाले लोगों को आने वाले समय में ब्यौरा देना होगा कि उनके बहुमंजिला भवन में अग्निशमन की क्या व्यवस्था है। नगर निगम एक ऐसी ही योजना पर काम कर रहा है जिसके माध्यम से यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि शहर की किन इमारतों में अग्निशमन की व्यवस्था है। योजना को नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब निगम आयुक्त को इसके लिए अधिकृत किया गया है कि वे निर्धारण करें की इस कार्य को किस प्रकार अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।

सीएम व सीएस का था आदेश

प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का आदेश हुआ था कि शहर में लगातार ऊंचे अपार्टमेंट और भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे भवनों, अपार्टमेंट में अग्निशमन के लिए क्या इंतजाम हैं। सरकार ने निगम से सर्वे करा एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। आदेश के बाद निगम ने योजना का अंतरिम खाका तैयार किया है।

स्टैंडिंग कमेटी ने अभी अपनी मंजूरी दी है। अब निगम आयुक्त को इस योजना पर आगे काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस योजना के प्रभावी होने में थोड़ा समय लगेगा।

चंद्रमा सिंह, अपर नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

- शहर के हर वार्ड की बहुमंजिली, बहु आवासीय इमारतों का होगा सर्वे
- नगर निगम कमेटी बना करेगी मानदेय पर इंजीनियरों की नियुक्ति
- मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के आदेश पर हो रहा काम

सबसे पहले होगा टीम का गठन

ऐसे भवनों का सर्वे करने के लिए आइआइटी एवं पॉलीटेक्निक के इंजीनियरों को एक निश्चित मानदेय पर बहाल किया जाएगा। बहाली का कार्य निगम एक कमेटी बनाकर उनकी योग्यता के आधार पर करेगा। एक अनुमान है कि इस कार्य के लिए 250 से अधिक इंजीनियर बहाल किए जाएंगे।

हर वार्ड की ली जाएगी सूचना

अब तक निगम के स्तर पर शहर में भवनों का ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है। इस कारण तय किया गया है कि बहु मंजिला एवं बहु आवासीय भवनों का पता करने के लिए वार्डवार सर्वे होगा। सर्वे के दौरान सर्वेयर एक लिखित विहित प्रपत्र में अग्निशमन से संबंधित सूचनाएं दर्ज करेगा।

तब तय होगा क्या करनी है व्यवस्था

सर्वेयर हर वार्ड की इमारतों का ब्यौरा इकट्ठा करने के बाद नगर निगम को जानकारी मुहैया कराएगा कि शहर में ऐसी कितनी इमारतें हैं जहां अग्निशमन की व्यवस्था और कहां नहीं। जिसके आधार पर नगर निगम अग्निशमन यंत्र की स्थापना से लेकर उनके रख रखाव तक का फैसला लेगा।